

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

पटना-15, दिनांक- 07 / 06 / 2019

संख्या-14 / पद0-203 / 2012- 7673 / सा0प्र0-विभागीय अधिसूचना संख्या-7530, दिनांक-03.06.2019 के द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के श्री रंजीत कुमार, को0 क्र0-818 / 11, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-07.06.2019, 08.06.2019, 10.06.2019, 11.06.2019 एवं 12.06.2019 को आयोजित 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगता परीक्षा के लिए सुपर जोनल दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है।

श्री रंजीत कुमार, को0 क्र0-818 / 11, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक-10.06.2019, 11.06.2019 एवं 12.06.2019 को आयोजित 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगता परीक्षा के लिए सुपर जोनल दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उनके स्थान पर श्री निरोज कुमार भगत, को0 क्र0-779 / 11, संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-10.06.2019, 11.06.2019 एवं 12.06.2019 को आयोजित 30वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य (लिखित) प्रतियोगता परीक्षा के लिए सुपर जोनल दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है।




(विमलेश कुमार झा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-14 / पद0-203 / 2012- 7673 / सा0प्र0, पटना-15, दिनांक- 07 / 06 / 2019

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / श्री रंजीत कुमार, उप सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना / श्री निरोज कुमार भगत, संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु / सम्बन्धित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।